मासिक
इसलाहे समाज
अगस्त 2018 वर्ष 29 अंक 08

संरक्षक

असग़र अ़ली 'सलफ़ी'

संपादक

एहसानुल् हक़्क़

- वार्षिक राशि 100 रुपये
- प्रति कापी 10 रुपये
- टोटल पेज 28

सम्पर्क

मासिक इसलाहे समाज (हिन्दी)
4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद
दिल्ली-110006
फोन : 23273407 फ़ैक्स: 23246613
RNI No. 53452/90

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद इरफान शाकिर ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की ओर से भारत आफसेट 2035 क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवा कर अहले हदीस मंज़िल 4116, उर्दू बाज़ार, जामा मस्जिद दिल्ली-6 से प्रकाशित किया।

सम्पादक: एहसानुल् हक़्क़

लेखक के विचारों से संस्था का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

इस अंक में

1.	तक़वा	2
2.	अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल	4
3.	इस्लाम की ख़ूबियां	5
4.	रसूल अकरम सल्ल० सबसे बड़े मुरब्बी	8
5.	प्रेस रिलीज़	11
6.	इस्लामी शिक्षाओं में इन्साफ की महत्ता	13
7.	प्रेस रिलीज़	16
8.	इस्लाम में मानव अधिकार की जमानत	21
9.	सुखमय व्यवहारिक जीवन के साधन	23
10.	अध्ययन ज़रूरी है	25
11.	माल व दौलत अमानत है	26

ईमेल:-
Jaridahtarjuman@gmail.com
Jamiatahlehadeeshind@hotmail.com
अब 'इसलाहे समाज' इन्टरनेट पर भी उपलब्ध है
वेब साइट:- **www.ahlehadees.org**

अच्छे कर्म और बुरे कर्म का फल

नौशाद अहमद

मेहनत और आत्मविश्वास एक दूसरे के लिये प्रतिपूरक हैं। जीवन में सफलता और असफलता एक आम बात है लेकिन वक्ती तौर पर नाकामी को निराशा का आधार नहीं बनाना चाहिये। जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर पहुंच कर एक इंसान यह समझने लगता है कि अब सामने नाकामी के सिवा कुछ नहीं है जबकि यह गलत फहमी है ऐसे ही मौके पर इन्सान के साहस और मनोबल की परीक्षा होती है। यहीं पर उसकी बुद्धि का भी इम्तेहान होता है कि वह अच्छा कर्म करके आगे बढ़ना चाहता है या बुरा कर्म करके आगे बढ़ना चाहता है।

निराशा की हालत में अपने आप को यह याद दिलाने का अवसर भी होता है कि हम इस संसार में सफल होने के लिये आये हैं, हमारी हर कर्म के बारे में जानकारी निश्चित है। अर्थात अल्लाह ने हमें यह बता दिया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा कर्म बुरा है।

कामयाबी दो तरह की होती है एक कामयाबी यह है कि इन्सान इस दुनिया में आधुनिक शिक्षा से लैस होकर व्यवहारिक जीवन में इतना आगे बढ़ जाये कि उसको दुनिया का हर सुख प्राप्त हो जाये, उसके पास माल व दौलत की रेल पेल हो जाये, अर्थात वह अपने जीवन में किसी चीज़ की कमी न महसूस करे यह दुनियावी कामयाबी का उच्च उदाहारण है इस कामयाबी में इन्सान को केवल दुनिया ही मिलेगी।

दूसरी कामयाबी यह है कि इन्सान इस दुनिया में जिस उद्देश्य और मक़सद से आया है, उसको पूरी तरह से समझ ले और उसके पालन हार ने उसको जो सिद्धांत और नियम बताये हैं उसके अनुसार अपने जीवन को गुज़ारे। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः ''मैंने जिन्नों और इन्सानों को अपनी इबादत के लिये पैदा किया है'' (सूरे जारियात)

कुरआन की सूरे मुल्क में अल्लाह तआला ने फरमाया जिसने मौत और जिन्दगी को पैदा किया ताकि तुमको आज़माए कि तुम में से कर्म के एतबार से बेहतर कौन है। कुरआन की दोनों सूरतों में इस संसार के स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर बता दिया कि इन्सान के इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मकसद यह है कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिये जो तरीके बताये हैं उसके अनुसार अमल करें।

इन्सान अपने कर्म की बुनियाद पर सफल और असफल होगा। इस दुनिया में जिसके कर्म अच्छे होंगे वह स्वर्ग में जायेगा, यह एक इन्सान के लिये शाश्वत कामयाबी है और दुनिया में जिस का कर्म अच्छा नहीं होगा वह नरक में जायेगा यह बहुत बड़ी नाकामी है।

कितनी खुशी की बात है कि एक इन्सान अपने अच्छे कर्म की वजह से स्वर्ग में जायेगा और कितने दुख की बात है कि एक इन्सान अपने बुरे कर्म की वजह से नरक में जायेगा।

इस्लाम की खूबियां

सईदुर्रहमान सनाबिली

क्रय-विक्रय में नर्मी

इस्लाम की नज़र में तिजारत एक काबिले क़द्र पेशा है शर्त यह है कि इस्लाम ने हमें तिजारत के जो नियम और सिद्धांत बताये हैं उनका ख्याल रखा जाये। व्यापार करते वक्त व्यवपारियों और व्यापार से जुड़े लोगों के साथ नर्मी पर बल दिया गया है ताकि मोहताजों और गरीबों की आवश्यकताएं पूरी हो सकें। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजिअल्लाहो अन्हुमा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः अल्लाह ने एक शख्स को बख्श दिया जो तुम से पहले था जो बेचने, खरीदने और तकाज़ा करते वक़्त नर्मी किया करता था (सुनन तिर्मिज़ी १३२०, सुनन इब्ने माजा २२०३, यह हदीस सहीह है, देखिए सहीहुल जामे-४१६२)

उस्मान बिन अफ्फान रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को फरमाते हुये सुना एक शख्स था जो बेचते खरीदते, तकाज़ा करते वक्त नर्मी किया करता था अल्लाह ने इस अच्छी आदत की वजह से उसे स्वर्ग में दाखिल कर दिया। (मुसनद अहमद, ४१०, सुनन नेसई ४६९६, सुनन इब्ने माजा २२०२, शैख अल्बानी ने इस रिवायत को हसन करार दिया है देखिये सहीहुल जामे २४०, सहीहुल तरगीब वत तरहीब १७४३)

परेशान हाल को मोहलत दी जाये मानव समाज का पहिया आपसी सहयोग के बिना चल पाना असंभव है। आपसी मामलात के वक्त लोगों की हालतों का ख्याल रखते हुये उन्हें मोहलत देना और अपने हक़ की मांग करने में नर्मी और खुश दिली का प्रदर्शन करने से बहुत ज्यादा सवाब मिलता है। हुजैफ़ा बिन यमान रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः एक शख्स मरने के बाद जन्नत में दाखिल हुआ उससे पूछा गया कि तुम कौन सा कर्म किया करते थे उसको स्वयं याद आ गया या उसे याद दिलाया गया उसने कहाः मैं लोगों से माल बेचा करता था और मेरा तरीका यह था कि मैं तंगदस्तों (परेशान हाल) लोगों को मोहलत दिया करता था और थैले और नकद में मौजूद कमी को नजर अन्दाज करता था (सहीह मुस्लिम १५६०)

यतीम का भरण-पोषण

इस्लाम धर्म ने ज़रूरत मन्दों और मोहताजों के साथ मुहब्बत और दया को सम्मान की निगाह से देखता है और उस बच्चे से ज्यादा ज़रूरत मन्द और मोहताज कौन हो सकता है जिसके बचपन में ही उसके मां बाप या केवल

उसके पिता का निधन हो जाये ऐसे बच्चे का भरण पोषण (किफालत, देख भाल) को इस्लाम धर्म प्रशंसनीय काम करार देता है बल्कि ऐसे लोगों के बारे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने शुभ सूचना दी है कि ऐसा शख्स जन्नत में आपके बिल्कुल करीब होगा।

सहल बिन सअ्द रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं और यतीम अनाथ की किफालत व भरण पोषण करने वाले जन्नत में यूं होंगे, यह कहते हुये अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी दो उंगलियों से संकेत किया। (सहीह बुखारी १४६७)

बीमार की अयादत बीमार का हाल चाल मालूम करना (इयादत) करना बहुत पुण्य का काम है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः जो मरीज की इयादत करने के लिये जाता है वह लौटने के वक्त तक जन्नत के बाग में रहता है। (सहीह मुस्लिम २५६८)

अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने अल्लाह के लिये किसी मरीज या अपने किसी भाई की इयादत की तो अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला पुकारता है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है और तेरा चलना अत्यंत मुबारक रहा और तुझे इस की वजह से जन्नत में जगह दी गयी है (सुनन तिर्मिज़ी २००८ इसे शैख अलबानी ने हसन करार दिया है)

अरब के वासी बेटियों और बहनों को अपने लिये हतक समझा करते थे और उनके साथ गलत रवैया अपनाया करते थे उन्हें जिन्दा दफन कर देते थे लेकिन इस्लाम ने अपने आने के पहले ही दिन से नारी को सम्मान दिया और मां, बहन, बेटी, खाला, फूफी, चाची, दादी, नानी तमाम हैसियतों में नारी को पूर्ण सम्मान दिया। अबू सईद खुदरी रजिअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिसके भी तीन बेटियां हों या तीन बहनें हों या दो बेटियां और दो बहनें हों और वह उनका भली भांति (अच्छी तरह) से पालन पोषण करे और उनके बारे में अल्लाह से भय करे तो अल्लाह तआला उसे जन्नत में दाखिल करेगा। (सुनन तिर्मिज़ी १८३५, अलअद्बुल मुफरद-७९, शैख अलबानी ने इसे सहीहा ४७५२ में सहीह करार दिया है) इन्सान के लिये मां बाप अकीदत और सम्मान का केन्द्र होते हैं क्योंकि यह मां बाप ही हैं जो उसके वजूद का सबब बनते हैं और हर तरह के दुख को बर्दाश्त करने के बाद उसका पालान पोषण करते हैं। यही वजह है कि इस्लाम धर्म ने माता पिता को सम्माननीय करार दिया है और उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाले इन्सान को जन्नत में

जाने की खुशखबरी सुनायी है। हज़रत अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस शख्स की नाक धूल धूसरित हो, उस शख्स की नाक धूल धूसरित हो जो अपने मां बाप या उनमें से किसी एक को बुढ़ापे में पा ले और फिर भी वह जन्नत में दाखिल न हो सके। (सहीह मुस्लिम २५५१)

जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव अबू हुरैरह रजिअल्लाहो तआला अन्हो का बयान है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक आदमी ने एक कुत्ते को प्यास की वजह से मिटटी चाटते देखा तो उसने अपना मोज़ा लिया और उसे भिगोकर पिलाने लगा यहां तक कि कुत्ता सैराब हो गया अल्लाह ने इस शख्स के कर्म को कुबूल कर लिया और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। (सहीह बुखारी १७, सहीह मुस्मिल २२४४)

पाठक गण ध्यान दें

१-जल्द से जल्द बकाया राशि भेज दें। २-अगर आपको हर महीने की 5 तारीख को पत्रिका न मिले तो इसके बारे में कार्यालय को सुचित करें। न मिलने की सूरत में दूसरी कापी भेजी जायेगी, लेकिन शिकायत करने से पहले अपने नजदीकी डाकखाने पर जानकारी हासिल कर लें। ३-नये खरीदारों से अनुरोध है कि अपने पते में फोन नम्बर अथवा मोबाइल नम्बर और पिन कोड भी लिखें। ४-पुराने खरीदारों से अपील की जाती है कि यदि उनका कोई फोन नम्बर या मोबाइल नम्बर हो तो पोस्ट कार्ड पर या फोन के जरिये अपने खरीदारी नम्बर का हवाला देकर अवश्य भेज दें ताकि जरूरत पड़ने पर उनसे सम्पर्क किय जा सके। 5- मनी आर्डर या हमारे प्रतिनिधियों के माध्यम से पत्रिका के सदस्य बनने वालों को यह सूचित किया जाता है कि रसीद कटवाने के बाद दूसरे महीने ही में पत्रिका भेजी जायेगी। ६- किसी भी तरह की शिकायत के लिये इस नम्बर पर संपर्क करें। ७. नए और पुराने सदस्यों से अुनरोध है कि नक़द पैसा कोरियर और जनरल डाक से न भेजें। इसलाहे समाज के बारे में किसी भी तरह की शिकायत के लिये 3 बजे से 5 बजे तक फून करें। 011-23273407

रसूल अकरम (सल्ल०) सबसे बड़े मुरब्बी

मौलाना नियाज़ अहमद मदनी तैयबपूरी

रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मोअल्लिम और मुरब्बी थे तरबियत के सिलसिले में आपकी तालीमात बहुत ज़्यादा हैं उनमें से हम यहां पर कुछ हदीसों को बयान कर रहे हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं आपने फरमाया सुनो! तुम में से हर आदमी निगरां है और तुम में का हर आदमी अपनी रेआया का ज़िम्मेदार है। लोगों का अमीर उनका निगेहबान है वह रेआया का ज़िम्मेदार है, आदमी अपने घर का निगरां और उसका ज़िम्मेदार है औरत अपने पति के घर और उसकी सन्तान की निगेहबान है और यह उनकी जिम्मेदार है। गुलाम अपने मालिक के माल का निगरां है और वह उसका ज़िम्मेदार है। सुनो! तुम में से हर आदमी निगरां है और तुम में से हर आदमी अपनी रेआया का ज़िम्मेदार है (सहीह मुस्लिम ११/१२/२१३)

रसूले अकरम ने हर उस आदमी को राई (चरवाहा) कहा है जो थोड़े या ज़्यादा लोगों पर हाकिम या अफसर हो, आपने मां बाप, सरपरस्तों, ज़िम्मेदारों और अफ़सरों को चरवाहे से तशबीह (उपमा) दी है। चरवाहा अपने जानवर की सारी ज़रूरतों को पूरी करता है।

१. जब भूखे होते हैं तो उनको खिलाता है।

२. जब प्यासे होते हैं तो उन्हें पानी पिलाता है।

३. समय पर उन्हें चराने ले जाता है।

४. वक्त पर चराकर वापस लाता है।

५. उन्हें ऐसी जगह नहीं ले जाता है जहां शेर और भेड़िए हों।

६. उन्हें सैलाब और दलदल वाले इलाके में नहीं ले जाता।

७. हर प्रकार से उनकी सुरक्षा करता है।

८. बीमार होने पर दवा देता है।

९. रात में उन्हें बाड़े में बन्द कर देता है ताकि उन्हें किसी प्रकार का खतरा न हो।

ठीक इसी प्रकार सरपरस्तों, माता पिता और अफसरों की अपने मातहतों के बारे में ज़िम्मेदारी होती है। विशेष रूप से मां बाप की बच्चों के सिलसिले में।

१. बच्चों की सेहत का ख्याल रखना।

२. वक्त पर खाना पानी देना।

३. मुनासिब कपड़ा पहनाना।

४. तालीमी ज़रूरतों को पूरी करना। जैसे किताब, बस्ता, कापी, पेन्सिल, क़लम, आदि।

५. अफसरों और हाकिमों का अपनी रेआया (जनता) के सारे हुकूक और अधिकारों का ख्याल रखना और उनको अदा करना।

६. अल्लाह ने इन्हें जो अमानत दी है उसमें खियानत न करना चाहे वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उनके हुकूक को अदा करना वाजिब है रसूल सल्ल० ने फरमाया है "अगर कोई बन्दा ऐसा है जिसको अल्लाह ने किसी पर हाकिम और अफसर बनाया, वह मरेगा जिस दिन मरेगा और उसने अपनी रेआया की खियानत की है तो अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर देगा। (सहीह मुस्लिम ११/१२/२१४)

मां बाप बच्चों के अफसर और निगरां हुआ करते हैं अगर यह उनकी तालीम और तरबियत की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो उनको सुनेहरा भविष्य नहीं मिलेगा। सोहबत आदमी पर बहुत बड़ा असर डालती है, इससे आदमी बनता भी है और बिगड़ता भी। ज़मीन से आसमान और आसमान से ज़मीन पर आ जाता है।

इसके बारे में रसूल स० ने फ़रमाया है सारे बच्चे फ़ितरते इस्लाम पर पैदा होते हैं। फिरउनके मां बाप उनको यहूदी या नसरानी या मजूसी बना लेते हैं जैसे जानवर स्वस्थ बच्चा पैदा करता है क्या तुमको उसमें कनकटा नज़र आता है। (बुख़ारी २/२००)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा था तुम अपने बच्चे को अदब सिखलाओ, क्योंकि तुम से उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसको अदब सिखलाया था? उसको पढ़ाया था? और बच्चा तुम्हारी फरमा बरदारी का जिम्मेदार है। (तोहफतुल मौदूद बिअहकामिल मौलूद:इब्ने कय्यिम अल-जौज़िया १७७)

रसूल स० ने फ़रमाया है कि जब तुम्हारे बच्चे सात साल के हो जायें तो उनको नमाज़ पढ़ने के लिये कहो और जब दस साल के हो जाएं तो उनको नमाज़ पढ़ने के लिये कहो न पढ़ें तो उनको मारो और उनके बिस्तर अलग कर दो। (सुनन अबू दाऊद २/१३३)

नमाज़ का यह हुक्म तरबियती है तकलीफी नहीं (यानी अभी उस पर नमाज़ फर्ज़ नहीं हुई है। केवल तरबियत के तौर पर उसे पढ़ाया जा रहा है) इबादतें आदत से होती हैं। जब बचपन से आदत पड़ जाएगी तो अल्लाह की तौफीक से बराबर पढ़ता रहेगा। दस साल में सुस्ती करने पर मारने वाली बात भी तरबियती है ताकि वह सुस्ती न करे।

दूसरी अहम बात यह है कि जब बच्चा बच्ची दस साल के हो जाएं तो उनके बिस्तर अलग कर दिए जाएं, इसकी वजह यह है कि इस उम्र में जिन्सी ताक़त सख्ती से उभरने लगती है, इसलिए इस का अपने छोटे भाई बहनों के साथ रहना मुनासिब नहीं, जैसे लड़के लड़कियां दस साल के होते जाएं वैसे वैसे उनके बिस्तर अलग करते जाएं।

बड़ों के लिए भी यही हुक्म है कि दो मर्द या दो औरत एक लेहाफ या चादर में न सोएं, सब अलग अलग रहें।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर

ने कहा था तुम अपने बच्चे को अदब सिखलाओ, क्योंकि तुम से उसके बारे में पूछा जाएगा कि उसको अदब सिखलाया था? उसको पढ़ाया था? और बच्चा तुम्हारी फरमा बरदारी का जिम्मेदार है। (तोहफतुल मौदूद बिअहकामिल मौलूदःइब्ने कय्यिम अल-जौज़िया १७७)

तरबियत में पढ़े लिखे मां बाप का किरदार

पढ़े लिखे मां बाप अपने बच्चों की अच्छे ढंग से तरबियत करते हैं और उनको पढ़ा कर बड़ा बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसी लिए शादी करते समय इस बात का ध्यान दें कि लड़की, लड़का पढ़े हों, इससे उनकी ज़िन्दगी अच्छे से गुज़रेगी और जीवन की गाड़ी के पहियों का सन्तुलन बिगड़ने नहीं पाएगा।

शादी के बारे में नीचे दी गई चीज़ों को ध्यान में रखें।

१. नेक पत्नी का चयनः लड़के को चाहिए कि नेक लड़की से रिश्ता करे, माल, हसब नसब और सुन्दरता की तरफ न जाए, रसूल सल्ल० ने दीनदार औरत से शादी करने का हुक्म दिया है।

२. अच्छे पति का इन्तेखाब आदमी को चाहिए कि अपनी सुपुत्री के लिए अच्छे और नेक पति का चयन करे ताकि उसकी जिन्दगीअच्छे से कटे।

अब मैं यह बताना चाहूंगा कि नेक और अच्छा किसे कहते हैं।

१. तौहीद परस्त हो।

२. नमाज़ के पाबन्द हों।

३. इस्लाम के अहकाम के पाबन्द हों।

४. ईमान के अहकाम पर ईमान मज़बूत हो।

६. दीन के अरकान पर अमल करते हों।

७. लड़की पर्दे में रहती हो।

८. लड़का नशा न करता हो।

लड़कों के बारे में बहुत ज़्यादा तहक़ीक़ करने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि लड़का देखने में बड़ा अच्छा लगता है लेकिन न तो उसके पास इल्म होता है और न फन और अखलाक (चरित्र) का भी अच्छा नहीं होता है, कभी किसी खतर्नाक बीमारी का शिकार होता है जैसे एड्ज़ आदि।

एक अरब खातून ने शादी की पर उसकी शादी बिगड़ गई। इससे उसको बड़ा दुख हुआ। इस दुख की घड़ी में उसने बड़ी हिकमत की बात कही थी खजूर के समान नौजवान दिखते हैं पर यह मालूम नहीं होता कि वह अन्दर से कैसे हैं? इसके कहने का मतलब यह था कि सिर्फ़ ज़ाहिर पर नहीं जाना चाहिए, उसके अखलाक, दीन, हुनर, इल्म और फन के बारे में जानना ज़रूरी है। इसी प्रकार यह भी देखना होगा कि उसके दोस्त कैसे हैं, इनको देखने के पश्चात उसका वास्तविक चेहरा सामने आएगा। ज़मीर जाफरी ने जनजवानों को हुनर सीखने के लिए इस प्रकार नसीहत की है।

कुछ हुनर कुछ इल्मे फन ऐ मेरे नूरे नज़र

वरना सिर्फ पतलून कस लेने से कुछ होता नहीं

(प्रेस विज्ञप्ति)

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का महत्वपूर्ण सत्र संपन्न

महत्वपूर्ण मुल्की, मिल्ली, जमाअती और समाजी समस्याओं पर गौर और विचार विमर्श

वतन की आज़ादी की नेमत की कद्रदानी व शुक्रगुज़ारी, मुल्क व मिल्लत के निर्माण और मानवता नवाजी की अपील

दिल्ली २६ जुलाई २०१८

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द से जारी बयान के अनुसार आज मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की कार्य समिति का एक महत्वपूर्ण सत्र मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी की अध्यक्षता में अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में आयोजित हुआ जिस में देश के अधिकांश राज्यों से कार्य समिति के सदस्य, प्रादेशिक जमीअतों के जिम्मेदारान और विशेष आमंत्रित सदस्यों ने भाग लिया। इस सत्र में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के विभिन्न विभागों के तहत हुयी प्रगति की कारकरदगी रिपोर्ट और कोषाध्यक्ष अलहाज वकील परवेज ने जमीअत और कांफ्रेन्स के कन्वीनर ने कांफ्रेन्स के खर्च को विस्तृत रूप से और निर्माण विभाग के हिसाबात भी पेश किये जिस पर प्रतिष्ठित कार्य समिति के सदस्यों ने संतोष एवं हर्ष व्यक्त किया। इस सत्र में जमाअती कामों का अवलोकन किया गया और भविष्य में दावती, कल्याणकारी, शैक्षिक, निमार्ण कार्य और अन्य मानव सेवाओं के लिये गौर व फिक्र किया गया। इसके अतिरिक्त जमीअत की आर्थिक स्थिरता खास तौर से अहले हदीस कम्पलैक्स ओखाला में निर्माणधीन आडीटोरियम और अहले हदीस मंज़िल में निर्माण कार्यों को शीघ्रतः पूरा करने के लिये अहले खैर हज़रात से भरपूर आर्थिक सहयोग की अपील की गयी। सत्र में हालिया ३४वीं आले आल इंडिया कांफ्रेन्स शीर्षक ''विश्व-शान्ति की स्थापना और मानवता की सुरक्षा'' के सफल आयोजन पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के सभी पदधारियों की प्रशंसा और उनको बधाई दी गी। सत्र में देश, समुदाय और विश्व समस्याओं से संबन्धित करारदाद और प्रस्ताव पास किये गये।

कार्य समिति की करारदाद में मिल्ली संगठनों और उनके प्रमुखों से आपसी सम्मान और सह-अस्तित्व की ज़रूरत पर जोर, जालसाजी और झूठ के द्वारा कुछ लोगों की तरफ से

बाज आरोपों का रद्द और निन्दा और गाय की सुरक्षा के नाम पर सामूहिक हिंसा (मोब लिंचिंग) और मुसलमानों और दलितों को हलाक एवं उन्हें प्रताड़ित करने की घटनाओं पर चिंता और दाइश एवं आतंकवाद की सख्त निन्दा और देश, समुदाय और समाज दुश्मन तत्वों की सरकूबी में प्रशासन और शासन का भरपूर साथ देने की अपील की गयी है। अवाम से अपील की गयी कि प्रिय वतन में राष्ट्रीय एकता एवं सांप्रदायिक सदभावना का वातावरण बनाये रखें और सम्प्रदाय वादियों और नफरत फैलाने वाले तत्वों की साजिशों का शिकार न हों। करारदाद में कहा गया है कि इस्लाम अम्न व शान्ति, भाई चारा और मानवतावादी धर्म है उसके खिलाफ गलत फहमियों को दूर करने की ज़रूरत पर जोर और देश के विभिन्न भागों में सैलाब से होने वाले जानी व माली नुकसान पर रंज व गम का इजहार और मरने वालों के परिवार वालों से शोक व्यक्त किया गया है यथापूर्व स्वतंत्रता दिवस १५ अगस्त को पूरे देश में जोश व खरोश से मनाने की अपील की गयी और आज़ादी की नेमत को देश, समुदाय और मानवता के निर्माण में खर्च करने की तलक़ीन की गयी और देश की विभिन्न अदालतों से मुस्लिम नौजवानों का बाइज्जत बरी होना इस बात की स्पष्ट दलील है कि उनका देश विरोधी गतिविधियों से कोई सरोकार नहीं है। करारदाद में आसाम के वासियों की नागरिकता का मामला मानवीय बुनियादों पर हल करने और सांप्रदायिक फसाद की रोकथाम के लिये ठोस कदम उठाने और देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं पर चिंता और औरतों के अधिकार की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने की अपील की गयी है। सऊदी अरब और अबू जहबी के खिलाफ हौसी बागियों के हमलों की निन्दा की गयी।

करारदाद में १८वें आल इंडिया हिफ्ज व तजवीद व तफसीर कुरआन करीम प्रतियोगिता के आयोजन की प्रशंसा और ३४वीं आल इंडिया अहले हदीस कांफ्रेन्स के सफल आयोजन पर मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जिम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की गयी है। करारदाद में फलस्तीन के वासियों पर इसराईल के अत्याचार और उनके सभी अधिकारों को हनन करने के प्रयासों, बैतुल मकदिस को इस्राईल की राजधानी बनाने के फैसले और वहां बाज पाश्चात्य देशों के दूतावास खोले जाने की निन्दा करते हुये इस फैसले को वापस लेने की मांग की गयी है। कार्य कारिणी की करारदाद में जमाअत के प्रसिद्ध ओलाम के इन्तेकाल को देश समुदाय के लिये महान खसारा करार देने के साथ परिवार वालों के साथ शोक व्यक्त किया गया।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा होने वाले दो दिवसीय आल इंडिया हिफ्ज व तजवीद व तफसीर कुरआन करीम का आज अंतिम समारोह हो गा जिस में देश समुदाय के प्रसिद्ध ओलाम एवं बुद्धिजीवी संबोधित करेंगे और इस प्रतियोगीता में विशिष्ट पोजीशन लाने वाले क्षात्रों को इंआम और भाग लेने वाले सभी क्षात्रों को मनोबल वर्धक उपहार और सनद दी जायेगी।

इस्लामी शिक्षाओं में इन्साफ की महत्ता

डा० मुहम्मद तैयब शम्स

इस्लाम दीने फितरत है फितरत चाहे इन्सान से संबन्धित हो या संसार से संबन्धित। इस में मध्यमार्ग का चिन्ह अत्यंत स्पष्ट है इन्साफ अल्लाह की खूबियों में से एक प्रमुख खूबी है जिसका इज़हार जिन्दगी और मौत के तमाम प्रदर्शनों में दिखाई देता है इस संसार की सभी सृष्टि और प्रकृति के अन्य प्रतीक इन्साफ के कारण मौजूद और बाकी हैं। इन्साफ संसार की सभी सृष्टि में श्रेष्ठतम है अतः उसे इन्सान को समझने और अपनाने की सबसे ज्यादा ज़रूरत है। सभी नबियों और पैगम्बरों की दावत में भी इन्साफ का पहलू स्पष्ट रहा है। किसी कौम से दुश्मनी के आधार पर इन्साफ का पलड़ा कमज़ोर न हो इन्साफ काइम और बाकी रहे। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''और किसी कौम की दुश्मनी से अन्याय न करने लगो (बल्कि हर हाल में) न्याय ही किया करो। (क्योंकि) न्याय परहेजगारी के बहुत ही करीब है और अल्लाह से डरते रहो'' (सूरे माइदा-८)

कानून का इन्साफ

इन्साफ का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कानून का इन्साफ है। इस्लामी कानून ने समाज में हर प्रकार के अत्याचार और अधिकार हनन का निवारण करता है इस्लाम किसी व्यक्ति संगठन, संस्था या रियासत को इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वह किसी भी शख्स का अधिकार हनन करे या नाहक माल हड़प ले या किसी की अस्मिता को आहत करे, इस्लामी कानून हर व्यक्ति जमाअत के जान व माल और सर्वमान्य बुनियादें, शिक्षित, अशिक्षित, साधारण, असाधारण अपराध करने वाले और गवाही देने वाला तक तमाम मामलों में बराबरी एवं इन्साफ का दामन थामे रखने पर सख्त बल दिया है। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''अगर (मेरी बेटी) फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट देता'' (नेसई, अहमद)

आर्थिक न्याय एवं समता

आर्थिक न्याय एवं समता इस्लाम का एक महत्वपूर्ण विभाग है। इस्लामी कानून ने आर्थिक समता एवं न्याय को ध्यान में रखते हुये मालदारों पर गरीबों के लिये जकात को अनिवार्य करार दिया है। तिजारत हलाल है जब कि सूद, चोरी, डकैती हराम है। कम तौलने वालों के लिये तबाही और बर्बादी है। माल व दौलत को गलत तरीके से जमा करने से मना किया गया है। इस्लाम आर्थिक अत्याचार एवं जब्र के हर पहलू को मिटाना चाहता है और आर्थिक पहलू से एक न्यायायिक व्यवस्था चाहता है जिससे समाज हर प्रकार की

लूट खिसोट अत्याचार और आर्थिक असमानताओं की तबाहकरियों से सुरक्षित हो सके। पैगम्बर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की स्पष्ट शिक्षा है जिसने धोका दिया उसका मुझसे कोई संबन्ध नहीं है। (मुस्लिम)

स्वयं के साथ इन्साफ

इन्साफ का तकाज़ा अपनी जाति से बहरहाल संबद्ध है जो शख्स अपने साथ इन्साफ नहीं कर सकता वह किसी के मामले में इन्साफ नहीं कर सकता हर शख्स अल्लाह का नायब है और अल्लाह की एक प्रमुख खूबी इन्साफ है। न्याय की स्थापना से लापरवाही न की जाये चाहे स्वयं का कितना ही बड़ा नुक़सान क्यों न हो। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है।

(इसलिये) ऐ मुसलमानों खुदा लगती इन्साफ से गवाही दिया करो अगर्चे (वह गवाही) तुम्हारे लिये या तुम्हारे मां बाप के लिये या तुम्हारे करीबियों के लिये नुकसान पहुंचाने वाली हो (तो भी तुम सच्ची गवाही से न रूको) अगर कोई शख्स मालदार हो या फकीर, अल्लाह उसका मुतवल्ली है इसलिये तुम न्याय करने में अपने नफ्स की ख्वाहिश के पीछे न चलो और अगर जबान दबाकर कर (दो रूखी बातें) कहोगे (जिससे किसी हकदार का नुकसान हो) या (बिलकुल ही गवाही से) मुंह फेरोगे तो अल्लाह तुम्हारे कामों से आगाह है। (सूरे निसा आयत-१३५)

समाजी जीवन में न्याय

इन्साफ वास्तव में कामयाब समाज की जान है। घर, रिश्ते नातेदार और समाज में हर एक को उसका निर्धारित स्थान एवं सम्मान दिलाने का एक ही तरीका न्याय ही है और इसी न्याय से मां बाप, करीबी, रिश्तेदार मोहल्लावासी अध्यापक, गरीब अमीर सबके अधिकार इसी न्याय के तकाजे से पूरे किये जा सकते हैं और इस समाजी न्याय का नमूना यह है कि हर एक को उसका वैध अधिकार दिये जायें। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है (इस तालीम का सारांश यह है कि) अल्लाह तुम को इन्साफ करने का हुम देता है और (हर एक के साथ) एहसान करे का संबन्धियों को (ताकत के मुताबिक) देने का और बेहयाई (अर्थात जिना और उसकी तरफ उभारने वाली चीज़ों) और नाजायज़ हरकतों से और अत्याचार से मना करते हैं। (सूरे नहल ९०)

औलाद के बीच समता और इन्साफ औलाद के बीच समता और इन्साफ भी ज़रूरी है वर्ना उनके अन्दर हसद और वैमनष्यता के जजबात पैदा होंगे। अधिकतर घरेलू झगड़े इसलिये पैदा होते हैं कि हमारे घरों के मुखिया इन्साफ नहीं करते, बेटों को बेटियों पर वरियता देना औलाद में किसी को एक से ज्यादा एखतियारात दे देना, जायदाद बराबर तकसीम न करना, या किसी को वंचित कर देना, न्याय के खिलाफ काम है। घरों में पाये जाने वाली यह कशीदगी इन्साफ के द्वारा दूर की जा सकती है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी सभी औलाद के साथ एक

जैसा व्यवहार करने और घरों में एक जैसा प्यार का माहौल पैदा करने की शिक्षा दी है।

हज़रत नौमान बिन बशीर रजिअल्लाहो तआला अन्हो बयान करते हैं कि उनके पिता जी उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लेकर आये और कहा कि मैंने अपना गुलाम अपने बेटे को दे दिया है। अल्लाह के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या तुमने अपनी सभी औलाद को इसी तरह गुलमा दिया है? उन्होंने कहा नहीं, इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर इस गुलाम को वापस कर लो। दूसरी रिवायत के शब्बों में कि मेरे पिता जी मुझे हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास लेकर आये और कहा कि आप मेरे हिबा (तोहफा) में गवाह बन जाइये आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कया तुम ने अपनी सभी औलाद के साथ ऐसा किया है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। आप सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया ''अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के बीच इन्साफ करो अतः मेरे पिता जी ने हिबा वापस कर लिया। (बुखारी, मुस्लिम)

यतीम, बेवा, सेवक और

यतीम, बेवा, सेवक और भीख मागने वाले समाज के कमजोर तरीन लोग होते हैं जिन्हें लोग कमज़ोर समझ कर उनके अधिकार को पामाल करते हैं। अल्लाह ने इन लोगों के साथ इन्साफ का हुक्म दिया।

भीख मागने वाले समाज के कमजोर तरीन लोग होते हैं जिन्हें लोग कमज़ोर समझ कर उनके अधिकार को पामाल करते हैं। अल्लाह ने इन लोगों के साथ इन्साफ का हुक्म दिया। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है ''पस यतीम (अनाथ) पर तू सख्ती न कर और मांगने वालों को डांट डपट न कर (सूरे जुहा ६-१०) हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपने मर्जुल मौत में फरमाते थे नमाज़ को लाज़िम पकड़ो और गुलामों का हक़ अदा करो। (बैहक़ी शोअबुल ईमान)

जानवरों के साथ न्याय

इस्लाम की आर्थिक व्यवस्था केवल इन्सान ही नहीं बल्कि तमाम जानवरों पक्षियों पेड़ पौधों और निर्जीव का ख्याल रखने पर जोर देती है। जानवरों को दुख देना और उन्हें मारने से सख्ती से रोका गया है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमायाः ''जिस चीज़ में जान हो उस पर निशानाबाज़ी न करो'' (मुस्लिम, १९५७-५८)

समता और न्याय से ही एक स्वस्थ्य समाज का निर्माण हो सकता है और इसी में इन्सान का जीवन निहित है एक समृद्ध विकसित राष्ट्र के लिये समता और न्याय की खूबियों से सुसज्जित होना आवश्यक है। इसी समता और न्याय की स्थापना से तमाम इन्सान सुख चैन, राहत और हर्षपूर्ण जीवन बसर कर सकेंगे।

प्रेस रिलीज़

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा 18 वां आल इंडिया हिफ्ज़ व तजवीद व तफसीर कुरआन करीम प्रतियोगिता सफलतापूर्वक संपन्न

दिल्ली ३० जुलाई २०१८

अगर हम कुरआन की शिक्षाओं को सही मानों में अपना लें तो मानवता की काया पलट सकती है और पूरी मानवता उसकी बरकतों से लाभान्वित हो सकती है। कुरआन करीम की तिलावत कर लेना या उसको याद कर लेना सौभाग्य की बात है मगर यह काफी नहीं है बल्कि इसको अपनी रग व पै में बसाने और उसकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन गुज़ारने ही से उसका हक़ अदा हो सकता है। उसकी मानवतावादी शिक्षाओं और अम्न व शान्ति-सन्देश को पूरी मानवता के सामने अल्लाह के लिये पेश करने की ज़रूरत है क्योंकि उसका सन्देश और शिक्षाएं किसी ख़ास कौम नस्ल या विशेष भूभाग के वासियों के साथ विशेष नहीं है बल्कि पूरी मानवता के लिये साधारण है। मुसलमान अगर कुरआन की शिक्षाओं के प्रचार एवं प्रसार का कर्तव्य पूरी तरह अदा कर दें और उसकी व्यवहारिक व्याख्या लोगों के सामने पेश करें तो इस धरती पर रहने वाले हर इन्सान ही नहीं बल्कि हर जानदार की कठिनाइयां दूर और संसार को अम्न व सुख प्राप्त हो सकता है। यह उदगार मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अध्यक्ष मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के द्वारा आयोजित दो दिवसीय १८ वें आल इंडिया हिफ्ज़ व तजवीद व तफसीर कुरआन करीम के अंतिम सत्र से संबोधित करते हुये अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में २६ जुलाई २०१८ को व्यक्त किया।

अमीरे मोहतरम ने अपने अध्यक्षता संबोधन में प्रतियोगिता में भाग लेने वालों से संबोधित करते हुये कहा कि आप लोगों ने अपने सीनों में पवित्र कुरआन की दौलत को महफूज किया है इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। आप हज़रात अपने मकाम और मरतबे को पहचानें और अल्लाह के मानवता के नाम सन्देश एवं दस्तूर अर्थात कुरआन करीम से संबद्धता पर गर्व महसूस करें जमीअत के हम तमाम

जिम्मेदारान आप सभी शरीक होने वाले और हकम हज़रात का दिल की गहराइयों से इस में शिर्कत के लिये शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि वह हम सबको कुरआन करीम की शिक्षाओं पर अमल करने वाला और यथाअधिकार उसकी सेवा करने वाला बना दे। आमीन

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के महा सचिव मौलाना मुहम्मद हारून सनाबिली ने प्रादेशिक जमीअतों और मिल्ली संगठनों के पदधारियों से शुक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि मर्कज़ी जमीअत अहेल हदीस हिन्द यह प्रतियोगिता ओलमा और अवाम के अन्दर हौसला और जजबा पैदा करने के मकसद से आयोजित करती रही है। उन्होंने कहा कि हर मुसलमन को कुरआन के मकाम व मर्तबा को जानना और पहचानना चाहिये। उन्होंने कुरआन की रोशनी में जिनदगी संवारे की अपील करते हुये कहा कि इस दौर में जब कि लोगों के अन्दर विभिन्न प्रकार की गलत फहमियां फैली हुयी हैं और इलाम दुश्मन माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे में कुरआन करीम का परिचय कराने और उसकी शिक्षाओं को फैलाने और उनको अपने जीवन में लागू करने की सख्त जरूरत है।

शाह वलीउल्लाह इंस्टीटियूट के अध्यक्ष मौलाना अताउर्रहमान कासिमी ने प्रतियोगिता के आयोजन पर बधाई देते हुये कहा कि मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द शैक्षिक, कल्याणकारी और नौजवान की मानसिक ट्रेनिंग के लिये काबिले कद्र खिदमात अंजाम दे रही है अन्य संगठनेां को भी मर्कजी जमीअत की तरह काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस समय धरती पर कुरआन ही एक ऐसी किताब है जो शाब्दिक और आर्थिक एतबार से सुरक्षित है। उन्होंने मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द के अमीर मौलाना असगर अली इमाम महदी सलफी को प्रतियोगिता और अन्य उददेशपूर्ण और आतंकवाद विरोधी प्रोग्राम के आयोजन पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की।

जमाअत इस्लामी हिन्द के सचिव मौलाना रफीक अहमद कासिमी ने बधाई देते हुये कहा कि कुरआन के हुफ्फाज की जिम्मेदारी है कि वह कुरआन न जानने वालों और न पढ़ने वालों को सिखाएं उन्होंने कुरआन की व्यवहारिक व्याख्या की ज़रूरत पर जोर देते हुये कहा कि कुरआन से जुड़े न हाने की वजह से आज हमारी कोई वक़अत नहीं है। कुरआन से संबन्ध जोड़ने से अल्लाह खुश होगा।

दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चियरमैन डा० जफरूल इस्लाम ने प्रतियोगिता में शिर्कत को अपने लिये सौभाग्य करार देते हुये कहा कि कुरआन पर अमल करने वाले दुनिया में विशिष्ट इन्सान हैं। आतंकवाद के खिलाफ मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सेवाओं का उल्लेख करते हुये कहा कि मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जिम्मेदारान ने

मुसलमानों पर आतंकवाद के आरोप को झूठ साबित करने का कर्तव्य अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि कुरआन के हिफ्ज के साथ ही साथ उस पर अमल करना और कराना सबसे बड़ा मकसद है तभी कुरआन का हक अदा होगा अगर हम अपने आप को असलाफ की तरह कुरआन से जोड़ लें तो असलाफ की तरह दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। उन्होंने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जिम्मेदारान को इस अजीमुश्शान (भव्य) प्रतियोगगिता के निरन्तर आयोजन पर बधाई पेश की।

हिमालय डर्गस् के चियरमैन सैयद फारूक साहब ने कहा कि यह कुरआन की खूबी ही है कि जितना कुरआन को याद करने का रिवाज व चलन है उतना दुनिया की किसी भी किताब का नहीं है। उन्होंने कुरआन के चमत्कार का उल्लेख करते हुये साइंस की बाज रिसर्च का संदर्भ भी दिया उन्होंने प्रोग्राम की प्रशंसा की और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की क्यादत को इसके लिये बधाई दी।

अंजुमन मिनहाजे रसूल के अध्यक्ष सैयद अतहर हुसैन देहलवी ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस के जिम्मेदारान को प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर मुबारकबाद देते हुये कहा कि अगर संकल्प और हौसला हो तेा इस का फल मिलता है और संकल्प का परिणाम मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के कामों में नज़र आता है। उन्होंने कहा कि अगर कुरआन से संबद्धता रहे गी तो आखिरत में कामयाबी ज़रूर मिलेगी और भटकने की सूरत में नाकामी ही नाकामी है। उन्होंने ने १८वें आल इंडिया प्रतियोगिता को समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता कर देते हुये बच्चों के अच्छे प्रशिक्षण पर जोर दिया।

दिल्ली हज्ज कमेटी के एगजीकिवटिव जनाब अश्फाक आरिफी ने प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त किया और इस प्रकार के प्रोग्राम के आयोजन पर हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिलाया।

मुस्लिम मज्लिसे मुशावरत के अध्यक्ष नवेद हामिद ने प्रतियोगिता के आयोजन की प्रशंसा की और कहा कि अल्लाह का कलाम मिटने वाला नहीं क्योंकि अलाह ने उसकी हिफाज़त की जिम्मेदारी स्वयं ले रखी है। उन्होंने कहा कि अगर कुरआन के सन्देश को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का अपना मिशन बना लें तो हम कभी गुमराह नहीं हो सकते।

डा० ताजुददीन साहब ने मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देते हुये कहा कि कुरआन की बात को साधरण करने की सख्त ज़रूरत है क्योंकि कुरआन पूरी मानवता के लिये है। उन्होंने कहा कि जब तक हम कुरआन की शिक्षाओं को साधारण नहीं करेंगे सुकून से नहीं रह पायेंगे।

जमीअत के सरपरस्त मौलाना सलाहुददीन मकबूल ने प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त करते हुये कहा कि हमें इस कुरआन के द्वारा ही मुक्ति

मिलेगी यह कुरआन करीम की खूबी ही है कि दुनिया के बड़े बड़े इस्कालर्स बदनियती से कुरआन के अध्ययन के बावजूद इस पर ईमान लाने पर मजबूर हो गये।

प्रतियोगिता के सभी हकम हज़रात का प्रतिनिधुत्व और जिम्मेदारन का शुक्रिया अदा करते हुये कारी अब्दुस्समद हैदराबादी ने कहा कि कौम व मिल्लत की खिदमत के हवाले से मर्कज़ी जमीअत की प्रमुख हैसित है क्योंकि प्रतियोगिता के सकारात्मक प्रभाव पूरे देश में नज़र आ रहे हें प्रतियोगिता का मकसद कुरआन का प्रचार एवं प्रसार है और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की तरक्की का राज कुरआन का प्रचार व प्रसार में है। दुआ है कि अल्लाह तअला जमाअत के काइदीन को बुलन्द हौसला दे हम सभी हकम पूरे प्रोग्राम से खुश हैं।

मौलाना इकबाल अहमद मुहम्मदी ने प्रतियोगिता के आयोजन पर हर्ष व्यक्त किया और मर्कज़ी जमीअत के जिममेदारान को मुबारकबाद पेश की और कहा वह इस प्रतियोगिता के द्वारा कुरआन की खिदमत का फरीज़ा अंजमा दे रहे हैं। इस प्रकार के मुसाबके (प्रतियोगिता) हर जिला और राज्य में आयोजित होना चाहिये इससे लोगों के अन्दर यह एहसास होगा कि आधुनिक शिक्षा नहीं बल्कि कुरआन की शिक्षा दुनिया और आखिरत में भलाई का माध्यम है।

प्रसिद्ध शोधकर्ता डा० उजैर शम्स ने अपने उदगार व्यक्त करते हुये कहा कि कुरआन इन्सान को मंजिले मकसूद तक पहुंचाता है। यह कुरआन की महानता ही है कि इसको जो भी पढ़ता है वह असल मंज़िल तक पहुंच जाता है। उन्होनें कहा कि अब कुरआन को समझने के लिये कोई उज्र बाकी नहीं रह गया है इसके लिये कुरआन को अपनी जिन्दगी का मिशन बना लें।

जामिअतुल मलिक सऊद के पूर्व प्रोफेसर और जमीअत के सरपरस्त मौलाना अब्दुर्रहमान फरीवाई ने किताब व सुन्नत की सुरक्षा के सिलसिले में मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की खिदमत की प्रशंसा करते हुये कहा कि हमारे तमाम मसाइल का हल कुरआन को सलफ के अकीदे एवं विचारधारा के अनुसार समझने औरउसके अनुसार अमल करने में निहित है।

इसके अतिरिक्त मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उपाध्यक्ष हाफिज़ अब्दुल कैयूम, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उप महा सचिव हाफिज यूसुफ छम्मा, जमीअत के मुफ्ती मौलाना जमील अहमद मदनी, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सलाहकार समीति के सदस्य डा० अब्दुल अजीज मदनी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस दिल्ली के अमीर मौलाना अब्दुस्सत्तार सलफी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस तमिल नाडो के सचिव मौलाना अब्दुल अलीम उमरी, झारखण्ड के सचिव मौलाना अकील अखतर, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस तिलंगाना के अमीर

मौलाना अब्दुर्रहीम मक्की, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस आंध्राप्रदेश के सचिव अब्दुल गनी उमरी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस बिहार के अमीर और मर्कज़ी जमीअत के उप महा सचिव मौलाना मुहम्मद अली मदनी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस मध्य प्रदेश के अमीर मौलाना अब्दुल कुद्दूस उमरी, जलालुद्दीन फैजी मुंबई, दारूल उलूम देवबन्द के अध्यापक कारी मुहम्मद वासिफ, जामिया इस्लामिया सनाबिल के प्रधानाचार्य मौलाना निसार अहमद मदनी, सूबाई जमीअत अहले हदीस उडीशा के अमीर मौलाना ताहा खालिद सईद, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस हरियाणा के अमीर डा० ईसा खान जामई, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस कर्नाटक एवं गोवा के सचिव जनाब असलम खान, मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सलाहकार समिति के सदस्य मौलाना कलीमुल्लाह सलफी ने अपने उदगार पेश किये और १८वें आल इंडिया हिफ्ज व तजवीद एवं तफसीर कुरआन करीम प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर मुबारकबाद दी और शुभकामनाएं व्यक्त कीं और हर प्रकार के सहयोग का आश्वासन दिलाया। प्रोग्राम में शिर्कत करने वाली अन्य महत्वपूर्ण शख्सीयतों में मौलाना अजीज अहमद मदनी, हाफिज शकील अहमद मेरठी, प्रादेशिक जमीअत अहले हदीस हरयाण के सचिव मौलाना अब्दुर्रहमान सलफी, दिल्ली जमीअत के सचिव मौलाना इरफान शाकिर और मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द की सलाहकार समीति के सदस्य हाजी कमरूददीन के नाम उल्लेखनीय हैं।

प्रतियोगिता के अंतिम प्रोग्राम की शुरूआत जामिया अबू हुरैरह लाल गोपाल गंज के कारी शमशाद अहमद की तिलावत कलाम पाक से हुई। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के उप महा सचिव मौलाना रियाज अहमद मदनी ने प्रोग्राम का संचालन किया और अपने उदघाटन संबोधन में मर्कज़ी जमीअत की खिदमात का परिचय पेश किया।

प्रतियोगिता में पोजीशन लाने वाले सभी छः श्रेणियों के सभी अभ्यार्थियों को नकद इंआम, बहुमूल्य किताबों का तोहफा और तौसीफी सनद दी गयी। इस प्रतियोगिता में हिन्दुस्तान भर से लगभग आठ सौ क्षात्र विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधुत्व करते हुये शरीक हुये। मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द के खाजिन अलहाज वकील परवेज ने आखिर में हकम हजरात, मुकर्रीरीन, सम्मानीय मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और रात ११ बजे यह सभा सम्पन्न हुई। स्पष्ट रहे कि अंतिम प्रोग्राम मगिरब की नमाज़ के बाद जामा मस्जिद अहले हदीस कम्पलैक्स ओखला नई दिल्ली में आयोजित हुआ जिस में मर्कज़ी और सूबाई जमीअत के जिम्मेदारान, मर्कजी जमीअत की कार्यकारिणी समिति के सदस्यगण, प्रतियोगिता के अभ्यार्थी, हकम हजरात, मिल्ली संगठनों के पदधारी और शहर के विशिष्ट जनों ने बड़ी तादाद में शिर्कत की।

इस्लाम में मानव अधिकार की जमानत

डा० सैयद अब्दुल अजीज सलफी
सचिव दारूल उलूम अहमदिया सलफिया

१. जीवित रहने का हक

जिन्दगी अल्लाह की दी हुयी है इसे इन्सान स्वयं खत्म नहीं कर सकता इसलिये आत्महत्या को हराम करार दिया गया है और किसी कए इन्सान की हत्या को पूरी मानवता की हत्या करार दिया गया है। कुरआन में अल्लाह तअला फरमाता है:

"जो किसी जान को बगैर किसी जान के बदले या बिना मुल्क में फसाद करने (की सजा) के मारता है वह गोया तमाम लोगों को कत्ल करता है और जिसने किसी नफ्स (जान) को जीवित रखा तो उसने गोया सब लोगों को ज़िन्दा रखा।" (सूरे माइदा-३२)

हज्जतुल विदाअ़ के अवसर पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने व्यापक खुत्बा दिया था उसमें सबसे पहली चीज़ जान की हिफाज़त थी। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

"ऐ लोगो तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज्जत व सम्मान एक दूसरे पर हराम कर दी गयी हैं"

२. माल की सुरक्षा

इसी खुतबे में लोगों के माल को सुरक्षित रखने के लिये एक दूसरे के माल को एक दूसरे पर हराम करार दिया गया और लोगों के माल को असत्य तरीके से खाने से रोकने के लिये सूद को खाने से रोक दिया जो समाज को खोखला कर देता है। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले इन आदेशों को अपने रिश्तेदारों पर लागू किया।

"पहला खून जिसके इन्तेकाम लेने से मैं तुम्हें रोकता हूं वह रबीआ बिन अल हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के दूध पीते बेटे का खून है जो कबीला बनी सअद में दूध पीने के लिये मौजूद था जिसे हुजैल ने कत्ल कर दिया था और पहला सूद जिसे मैं खत्म कर देता हूं वह अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का सूद है"। (मुस्लिम)

३. इसी खुत्बे में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने औरतों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया।

४. गुलामों के अधिकार

इस्लाम में गुलामों (सेवकों) के साथ सदव्यवहार करने का जो आदेश दिया गया है उसकी महत्ता का अन्दाजा हमें इस बात से होता है कि हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात के वक्त अपनी उम्मत को जो अंतिम वसिय्यत की थी इसमें नमाज़ को बराबर अदा करने के साथ गुलामों से अच्छा व्यवहार करने का आदेश है।

५. जिम्मियों के अधिकार

बहुत से लोग इस्लाम पर सिर्फ इस लिये आपत्ति करते हैं कि इस्लाम ने गैर मुस्लिमों पर जिज़्या लगाया और उन्हें एक

विशेष रक़म अदा करने का मुकल्लफ किया, यह जिज़्या एक तरह से सुरक्षा टेक्स था जिसके बदले में इस्लामी शासन में रहने वाले जिम्मी की जान और माल सुरक्षित हो जाती थी।

यह कुछ उदाहरण हैं। इस्लाम हर कदम पर अधिकार की हिफाज़त का संरक्षक हैं उसने सेवकों, कमज़ोरों, के अधिकार दिये हैं यहां तक कि जंग की हालत में भी मुसलमानों पर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे अवसर पर उन पर क्या अधिकार लागू होते हैं। इतिहास ने हज़रत अबू बक्र रजिअल्लाहो तआला अन्हो की उस वसिय्यत को महफूज़ रखा है जिस में उन्होंने उसामा की फौज को शाम (सीरिया) की तरफ रवाना करते हुये की थी। शब्द यह हैं।

"ख्यानत न करना, धोखा न देना, किसी लाश का मुस्ला (अनादर) न करना, किसी छोटे बच्चे को न बूढ़े को और न किसी औरत को कत्ल मत करना, न किसी खुजूर के पेड़ काटना न उसे जलाना, न किसी फलदार पेड़ को काटना, तुम्हारा गुजर ऐसे लोगों पर होगा जो गिरजों में एकान्त में होंगे उन्हें उनके हाल पर छोड़ देना" (अत्तबकातुल कुबरा लेखक, इब्ने सअ़्द भाग-१८६)

इतिहास गवाह है कि मुसलमानों ने इस शिक्षा पर अमल किया। आज जनेवा कनवेन्शन को पूरी दुनिया स्वीकार करती है लेकिन व्यवहारिक तौर पर इस पर कोई अमल नहीं करता। हर वक्त और हर जमाने में मुसलमान इन कवानीन की पासदारी करते रहे, यह केवल अल्लाह से भय का जज़्बा था जिसने इन कवानीन की पासदारी करने पर मजबूर किया था क्योंकि उन्हें इस बात का ज्ञान था कि अल्लाह का हक तौबा के माध्यम से मआफ हो सकता है लेकिन बन्दों का हक किसी हाल में मआफ नहीं हो सकता। परलोक की चिंता और आमाल की जवाबदेही के भय ने उन्हें मानव अधिकार का संरक्षक बना दिया था।

यह अल्लाह का भय ही था कि जिसने हज़रत अली रजिअल्लाहो तआला अन्हो को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वह काजी शुरैह के उस फैसले को स्वीकार कर लें जिसमें उन के उस जिरह को एक यहूदी ने देने से इन्कार कर दिया था फिर खलीफ़ा होने के बावजूद उन्होंने काजी (न्यायधीश) शुरैह की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया कि जिरह उनकी जायदाद है और जब गवाह में हज़रत अली ने अपने बेटे हजरत हसन को पेश किया तो काजी (न्यायधीश) ने बेटे की गवाही बाप के हक में कुबूल करने से इन्कार कर दिया अतः हज़रत अली रजिअल्लाहो अन्हो ने इस फैसले को स्वीकार किया और जिरह यहूदी को दे दिया।

यहूदी इस इन्साफ को देख कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया (अल बिदाया वन्निहाया ८/५०६) अगर दुनिया आज इस्लाम की शिक्षाओं को अपना लेती है तो उस विखराव और अत्याचार का सांसर से अन्त हो जायेगा जिससे पूरी दुनिया आज परेशान है।

सुखमय व्यवहारिक जीवन के साधन

डा० मुकतदा हसन अज़हरी रह०

सूरे रूम की आयत न० २१ में वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के आधार का वर्णन है अनुवाद ''और उसके लक्षणों में से यह भी है कि उसने तुम्हारी कोटि से तुम्हारे लिये पत्नियों को जन्म दिया कि तुम उनसे प्रेम प्राप्त करो तथा उसने (ईश्वर ने) तुम में प्रेम तथा दया उत्पन्न किया है, निसन्देह इस घटना में विचारकों के लिये अनेकानेक लक्षण हैं''।

उक्त आयत में इस बात की ओर संकेत है कि पति-पत्नी में से प्रत्येक एक दूसरे से आनन्दित होंगे तथा उसे सुख, प्रसन्नता, शान्ति एवं कुशलता प्राप्त होगी। संयम एवं पवित्रता का जीवन सरल होगा एवं हृदय तथा आत्मा को शान्ति प्राप्त होगी।

इस वर्णन से उन अधिकारों तथा कर्तव्यों की सीमा भी निर्धारित हो जाती है जो वैवाहिक जीवन में पति-पत्नी से सम्बद्ध होते हैं। आयत में जिस प्रकार आदर्श वैवाहिक जीवन के आध ारों का वर्णन है उसी प्रकार यह भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्यों में पुरूष का स्त्री से संबन्ध अन्य प्राणियों के संबन्ध से अति श्रेष्ठ है। यहां जीवन का एक उददेश्य एवं उसमें एक पवित्रता तथा प्रेम व स्नेह है जिस का उददेश्य यह है कि मनुष्य सरलता से उस उच्च्य स्थान तक पहुंच सके जिसके लिये उसको पैदा किया गया है। भोजन, वस्त्र तथा मकान की आवश्यकता स्थिति के अनुसार घटती बढ़ती रहती है तथा कुछ स्थिति में समाप्त भी हो जाती है, परन्तु पति और पत्नी के मध्य प्रेम तथा दया का जो संबन्ध इस्लाम ने स्थापित किया है उसमें भौतिक साधनों से संतुष्टि के पश्चात और बढ़ोतरी होती है तथा इसी से वैवारिक जीवन में सम्पन्नता स्थिर रहती है।

प्रेम, स्नेह के जिस संबन्ध को कुरआन ने अल्लाह तआला की निशानी बताया है उसकी सुरक्षा के लिये नबी सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने इस बात की ओर संकेत किया है कि पति पत्नी में से प्रत्येक अपने रचनात्मक विशेषताओं को पूरी तरह से सुरक्षित रखे जिससे प्यार व मुहब्बत के संबन्धों में किसी प्रकार दुर्बलता उत्पन्न न हो। इसके लिये आवश्यक है कि पत्नी अपनी स्त्रीत्व की पूरी सुरक्षा करे और किसी भी ऐसे व्यवहार एवं चरित्र को ग्रहण न करे जो पुरूषों के लिये विशेष हो तथा उसके स्त्रीत्व को खतरा हो। उसका स्त्रीत्व जितना ही सुरक्षित रहेगा पति की दृष्टि में वह उतनी ही प्रिय होगी। इसी प्रकार पुरूषों को भी पुरूषत्व की सुरक्षा की प्रेरणा दी गयी है जिससे कि उनके प्रति स्त्रियों का लगावा बना रहे तथा पारिवारिक व्यवस्था स्थिर रहे।

अम्न व शान्ति का एक पहलू यह भी है कि जिस प्रकार पति-पत्नी शारीरिक आवश्यकताओं एवं यौनिक भावनाओं की पूर्ति के संबन्ध में एक दूसरे का ध्यान रखते हैं उसी प्रकार विचार एवं रूझहान में भी उनमें समानता आवश्यक है अर्थात दोनों आस्था एवं व्यवहार

में उन शिक्षाओं का पालन करते हों जिन को इस्लाम धर्म ने आवश्यक बताया है। अगर इस्लाम की शिक्षाओं पर दम्पत्ति में से किसी एक का व्यवहार न हो गा और जीवन में व्यवहारिक असमानता होगी तो अनिवार्य रूप से दाम्पत्ति जीवन प्रभावित होगा और आपस में बिगाड़ पैदा होगा।

आयत में प्रेम व स्नेह का जो वर्णन है उसका प्रभाव संपूर्ण मानव जीवन में व्याप्त है। दाम्पत्ति जीवन के अतिरिक्त सन्तान की शिक्षा दीक्षा और परिवार के भरण पोषण एवं सुरक्षा के लिये भी इस विशेषता का प्रभाव अवश्य है। यही भावना है जिससे मनुष्य अपने परिवार की देख रेख करता है और इसी से उसके अन्दर निकट संबन्धियों एवं जन साधारण के साथ शिष्टाचार की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। प्रकृति ने मनुष्य के अन्दर यह भावना पैदा करके सामाजिक जीवन में संतुलन स्थापित किया है और सभी प्रकार के बिगाड़ से उसकी सुरक्षा की है। इस्लाम के विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि विवाह के महत्वपूर्ण संबन्ध से धर्म के निम्नलिखित उददेश्य हैं।

१. दम्पत्ति का सम्मान एवं पवित्रता

२. वंश की सुरक्षा

३. सामाजिक संबन्ध

४. मानव संबन्धों की पुष्टि एवं दृढ़ता

५. मनुष्य की योग्यताओं को सामाजिक जीवन की उन्नति एवं रचना के लिये उचित रूप से प्रयोग करना। (**''इस्लाम और औरत''** पृष्ठ १५६-१५८ से साभार)

मर्कजी जमीअत अहले हदीस हिन्द की पत्रिकाओं का सदस्य बनाने के लिये सहयोग करें।

मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर है। जमीअत के तीन आर्गन निरंतर प्रकाशित हो रहे हैं।

जरीदा तर्जुमान पाक्षिक (उर्दू) 150 वार्षिक

इस्लाहे समाज मासिक (हिन्दी) 100 वार्षिक

दी सिम्पल ट्रुथ मासिक (अंग्रेज़ी) 100 वार्षिक

खुद भी पढ़ें और दूसरों को खरीदार बनवायें। यह एक मिशन है जिसको कामयाब बनाना हम सब की संयुक्त ज़िम्मेदारी है।

अध्ययन ज़रूरी है

नौशाद अहमद

आज हर बात को सहीह और गलत के तराजू पर तौला जाता है, यह हकीकत है कि आजके गलत प्रोपैगण्डे के जमाने में सहीह और गलत में अन्तर करना मुश्किल हो गया है लेकिन सहीह और गलत के बीच में अन्तर करना और सच्चाई तक पहुंचना असंभव भी नहीं है।

कुछ लोग एक मामूली सा लटरेचर पढ़कर दूसरे धर्मों के बारे में बड़ी आसानी से राय बना लेते हैं कि क्या गलत है और क्या सहीह है। धर्म के बारे में सहीह जानकारी का सबसे आसान तरीका यह है कि उस धर्म के मूल स्रोत की तरफ ध्यान देना चाहिये इसके बिना हम किसी धर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान हासिल नहीं कर सकते और आज के दौर में एक दूसरे धर्म के बारे में जो भ्रांतियां पायी जा रही हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक मामूली जानकारी रखने वाले की बातों पर यकीन कर लेते हैं जब कि होना तो यह चाहिये कि हम किसी भी धर्म के बारे में वास्तविकता मालूम करने के लिये उस धर्म के माहिर ज्ञानियों से संपर्क करें और उस धर्म के असल स्रोत तक पहुंचने की कोशिश करें।

किसी इंसान की गलती को उसके धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिये क्योंकि कोई भी धर्म किसी को गलत कर्म करने का आदेश नहीं देता लेकिन यह बड़े अफसोस की बात है कि आज जब कोई गलत काम कर बैठता है तो झूठे प्रोपैगण्डों से प्रभावित हो कर यह कह दिया जाता है कि वह अमुक धर्म से संबन्ध रखता है जब कि किसी के गलत काम को उसके धर्म से जोड़ना सहीह सोच नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई सोच रखता है तो इसका मतलब यह हुआ कि उसको धर्म के मूल सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है इसी अज्ञानता का फायदा उठा कर एक स्वार्थी व्यक्ति धर्म की गलत व्याख्या करने लगता है जिस के परिणाम में समाज एक नकारात्मक दिशा में चला जाता है और फिर इसी गलत सोच को आधार बनार कर स्वार्थी लोग नफरत की लकीर खीचने लगते हैं हमको यह मालूम होना चाहिये कि जो असमाजिक तत्वों के बहकावे में आ कर नफरत की रेखा खींचते हैं वह न तो अपने देश और समाज की सेवा कर रहे हैं और न अपने धर्म की सेवा कर रहे हैं बल्कि ऐसे लोग नफरत के प्रचारकों का आलएकार बन रहे हैं हमे नफरत के प्रचारकों और स्वार्थियों से सचेत रहना चाहिये और हमें ऐसा काम करना चाहिये जो हम तमाम इन्सानों को तोड़ने का नहीं जोड़ने का काम करे और हमारा कर्म हमारे शाश्वत जीवन को सफल एवं सुखमय बनाये।

माल व दौलत अमानत है

असगर अली इमाम महदी सलफी
अध्यक्ष मर्कज़ी जमीअत अहले हदीस हिन्द

माल व दौलत की हिफाज़त की जिम्मेदारी माल के मालिक की भी है कि वह यूं ही बर्बाद न हो जाये और आखिरी वक्त तक उसकी हिफाज़त करता रहे मगर यह कि उसे मालूम हो जाये कि जिस माल की हिफाज़त के लिये वह कोशिश कर रहा है वह वास्तव में उसका है ही नहीं तो उससे दस्तबरदार हो जाने ही में भलाई है। दो सहाबी किसी सामान के सिलसिले में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर होते हैं दोनों का दावा है कि वह सामान उसी का है लेकिन दावा बिना दलील के है किसी के पास इस सामान की मिलकियत का सुबूत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने दोनों में से किसी के हक में फैसला करने से पहले दोनों से कहा अगर मैं किसी के लिये उसके भाई के हक़ में (अज्ञानता में) कुछ देने का फैसला कर दूं तो यकीन मानो मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूं (अबू दावूद) इतना सुनना था कि दोनों रो पड़े और दोनों ने एक ही आवाज़ में कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल यह सामान मेरा नहीं बल्कि मेरे मुकाबिल साथी का है।

लेकिन अगर यही माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की बात हो तो इसमें बन्दे का अधिकार है कि वह जितना चाहे खर्च करे। अबू दहदाह रजिअल्लाहो तआला अन्हो का मश्हूर वाक़्या है कि उन्होंने अपना बाग जिस पर उनकी आल औलाद का रोज़गार निर्भर था जन्नत के बदले अल्लाह की राह में दे दिया।

लेकिन अगर यही माल व दौलत इस्राफ व तबजीर में खर्च किया तो यह मुसलमानों का शेवा (तरीका) नहीं है ऐसे लोगों को शैतान का भाई करार दिया गया है। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है "और रिश्तेदारों का, मिस्कीनों का और मुसाफिरों का हक़ अदा करते रहो और इस्राफ और बेजा खर्च से बचो, बेजा खर्च करने वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने परवरदिगार का बड़ा ही नाशुकरा है" (सूरे इसराः२६-२७)

संक्षिप्त यह है कि माल व दौलत की हिफाज़त के साथ साथ अल्लाह की मर्जी के मुताबिक उसे खर्च करना चाहिये और इसमें अतिश्योक्ति और इसराफ व तबजीर से काम नहीं लेना चाहिये। कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता हैः

"अपना हाथ अपनी गर्दन से बंधा हुआ न रख और न उसे बिल्कुल ही खोल दे कि मलामत किया हुआ दरमांदा बैठ जा यकीनन तेरा रब जिसके लिये चाहे रोज़ी को कुशादा कर देता है और जिसके लिये चाहे तंग यकीनन वह अपने बन्दों से

बाखबर और खूब देखने वाला है और मुफ़लिसी के डर से अपनी औलादों को न मार डालो, उनको और तुम को हम ही रोज़ी देते हैं। यकीनन उनका कत्ल करना महा पाप है"। (सूरे इसरा-२६-३१)

मध्यमार्ग के साथ माल व दौलत खर्च करना प्रशंसनीय और अपेक्षित है और इससे इन्सानी दुनिया की बड़ी बड़ी समाजी एवं आर्थिक समस्याएं हल हो सकती हैं।

एक बात तो यह हुयी कि किसी चीज़ का कोई मालिक है या नहीं और अगर है तो इसमें उसके बरतने और उसमें से स्तेमाल करने की शर्त, नियम और तकाजें क्या हैं? तो प्राथमिक तौर पर जानना चाहिये कि इन्सान के पास कुछ भी नहीं है जब अल्लाह तआला चाहे जिसे दे दें और जब चाहें ले लें हर हाल में माल व जान उसी का है (लिल्लाही मा ऊतिया व लिल्लाही मा उखिज़ा) और कुरआन में अल्लाह तआला फरमाता है "और उनके माल में मांगने वालों का और सवाल से बचने वालों का हक़ था" (सूरे जारियात-१६)

और हमारे हिस्से और हक में यह है कि हम हर रंग में राजी हों और यही हमारी असल पूँजी है या जो कुछ है यही है और अगर हासिल है तो हर चीज़ हासिल और अपेक्षित है और हम वही बात करते हैं जिससे हमारा रब राज़ी हो। जब देकर ले लेने के वक्त यह शिक्षा है तो फिर जिस वक्त यह नेमत या दौलत मिली है उस वक्त उसकी रिजामन्दी का जितना ख्याल व पास और लाज व लिहाज होना चाहिये इसको लेख की परिधि में नहीं लाया जा सकता उसके स्वरूप और जवाहिर को दिल की गहराइयों से अपनाना चाहिये और आज्ञापालन करते हुये हम्द और शुक्र अदा करना चाहिये क्योंकि यही अपेक्षित और प्रिय दीने इलाही है। मर्जिए मौला अज हमा औला, हर हाल और हर रंग में जाहिर होते रहना चाहिये "और तुम बगैर परवरदिगार के चाहे कुछ नहीं चाह सकते" (सूरे तकवीर-२६)

हमारी तमाम खुवाहिशें और प्रयास हजार जोर मारें और मेहनत सर्फ करें जब तक अल्लाह उसे न चाह ले घटित नही हो सकती इसलिये हकीकी अव्वल और आखिर आक़ा वही है देना उसकी खूबी है, उसी की तरफ ध्यान लगाना चाहिये और उसी को सभी ज़रूरतों को पूरा करने वाला जानना चाहिये क्योंकि असबाब का पैदा करने वाला भी वही है और इन असबाब का उपलब्ध करने वाला उसके अलावा कोई नहीं है अतः हर हाल में वही पुर्साने हाल, गरीब नवाज़ बन्दा नवाज़ भी है और लायके नज्र व नियाज़ भी और उसी की सरकार खिदमत के लायक़ है जिसको उसकी सरकार में नोकरी लग गयी उसकी किस्मत चमक गयी। अब जितनी सरकारें है वह आप की हो गयीं। मालूम हुआ कि हमारी जान, माल आल औलाद और मरना जीना सब अल्लाह के हाथ में है और वही इसका वास्तविक मालिक और उसमें मुतसर्रिफ है हमें जो कुछ अपने हाथ और कबजे में नज़र आता है वह वास्तव में उसी मालिक व मौला का है हम महकूम और पराधीन हैं और वह मालिक और सर्वशक्तिमान है।

तक़्वा

प्रोफेसर डॉ० मुहम्मद ज़ियाउर्रहमान आज़मी मदीना मुनव्वरा

तक़्वा का अर्थ है डरना। यह शब्द कुरआन में अल्लाह से डरने के लिए प्रयोग हुआ है और अल्लाह से डरने का अर्थ है, उसके बताए हुए मार्ग पर चलना। इसमें आदेश और निषेध दोनों सम्मिलित हैं। आदेश में नमाज़ पढ़ना, ज़कात देना, रमज़ान में उपवास रखना, हज करने की सामर्थ्य हो तो हज करना, एक-दूसरे की सहायता करना, नातेदारों के साथ अच्छा व्यवहार करना, निर्धनों को दान देना, इत्यादि सम्मिलित हैं। निषेध (वर्जित कर्म) में, जैसे ज़िना करना, चोरी करना, किसी की हत्या करना, झूठी गवाही देना, किसी पर अत्याचार करना, इत्यादि सम्मिलित हैं। अल्लाह से सबसे अधिक डरने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। कुरआन में है।

''वास्तव में अल्लाह के यहां तुम में सबसे अधिक श्रेष्ठ वह है जो तुममें सबसे अधिक (अल्लाह का) डर रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है''। (सूरा-४६, अल-हुजूरात,आयत-१३)

अल्लाह की किताब कुरआन से केवल मुत्तकी (अल्लाह से डरनेवाले) लोग ही लाभ उठा सकते हैं।

''यह वही किताब है, (जिसका वादा किया गया था) जिसमें कोई सन्देह नहीं, इसमें मार्गदर्शन उन लोगों के लिए है जो अल्लाह से डरने वाले हैं''। (सूरा-२, अल बक़रा, आयत२)

अतः जो लोग अल्लाह का तक़्वा (डर) रखते हैं उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए वह रास्ते खोल देगा।

''जो कोई अल्लाह का डर रखेगा, उसको वह (परेशानी से) निकलने की राह पैदा कर देगा''। सूरा-६५, अत-तलाक़, आयत-२)

''जो कोई अल्लाह का डर रखेगा, उसके मामले में वह आसानी पैदा कर देगा''। (सूरा -६५, अत-तलाक़, आयत-४)

और अल्लाह से डरने वाले ही सफल होंगे।

''जो कोई अल्लाह और उसके रसूल की आज्ञा का पालन करे, और अल्लाह से डरे, तो ऐसे ही लोग सफलता प्राप्त करने वाले हैं''। (सूरा-२४, अन-नूर, आयत-५२)

संक्षेप में यह कि ये वे लोग हैं जो अल्लाह के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। और रसूल ने जो कुछ हुक्म दे दिया उसको स्वीकार करते हैं।

''रसूल जो भी तुम्हें हुक्म दे उसपर अमल करो, और जिससे तुम्हें रोके रूक जाओ और अल्लाह का डर रखो। निश्चय ही अल्लाह की यातना बहुत कठोर है''। (सूरा-५९, अल-हश्र, आयत-७)

कुरआन मजीद की इन्साइक्लोपीडिया